राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक सीआरओ / राआम / 2020–21 / 240 दिनांकः– 04/01/2021

कार्यालय आदेश

प्रमुख शासन सचियव,नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा स्थानीय निकायों हेतु जारी आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि / नियम / 2020 दिनांक 07.01.2020 के आधार पर संचालक मण्डल की बैठक संख्या–240 बिन्दु संख्या–07 दिनांक 17.01.2020 के अनुमोदन से व्यावसायिक भूखण्डों की न्यूनतम बिड मूल्य आदेश क्रमांक–सीआरओ / राआम / 2019–2020 / PS-FA / 202 दिनांक 31.01.2020 से नवीन फार्मूला के आधार पर निर्धारित की जा रही है तथा बिडों की वाणिज्यिक भूखण्डों की आरक्षित दर + 15 प्रतिशत स्थानीय निकाय की राशि प्राप्त होने पर स्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् संचालक मण्डल की बैठक संख्या–241 दिनांक 19.02.2020 के अनुमोदन पश्चात् आदेश क्रमांक–सीआरओ / राआम / 2019–2020 / 346 दिनांक 02.03.2020 के आधार पर न्यूनतम बोली दर से अधिक बोली प्राप्त होने पर गुण–अवगतण के आधार पर बिडे स्वीकृत की जा रही है।

संचालक मण्डल की बैठक संख्या–244 बिन्दु संख्या 48 दिनांक 22.12.2020 के अनुमोदन से आदेश क्रमांक–346 दिनांक 02.03.2020 में अंकित गुण–अवगुण के आधार पर निर्णय करने को विलोपित किया जाता है। नीलामी में व्यावसायिक भूखण्डों की बिडों में उच्चतम बोली न्यूनतम बिड मूल्य से अधिक प्राप्त होने पर तथा एकल निविदा होने पर भी बिड स्वीकृत की जावें। निष्कर्ष रूप में पूर्व के आदेशों को अधिकमित करते हुए राज्य सरकार के आदेश दिनांक 7 जनवरी,2020 की अक्षरशः पालना की जावे।

यदि किसी प्रकरण विशेष में फार्मूले के आधार पर न्यूनतम बिड राशि किन्हीं कारणों से कम प्रतीत होती है तो उन विशेष प्रकरणों का उल्लेख करते हुए बिड आमंत्रित करने से पूर्व ही न्यूनतम बिड मूल्य को बढाया जा सकेगा परन्तु एक बार बिड राशि (उच्चतम बोली) प्राप्त होने के उपरान्त सामान्य परिस्थितियों में उसे अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष,राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव–वित्तीय सलाहकार / सचिव, राजस्थान आवावसन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम / तृतीय, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
6. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत .... रा. आ.मं. ....
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.मं. जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की बेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
9. आवासीय अभियन्ता, खण्ड .... राज. आ. मं. ....
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी .... राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
11. सम्पदा प्रबन्धक, वृत .... राज. आवासन मण्डल,.....................
12. लेखाधिकारी, वृत .... राज. आवासन मण्डल, ...
13. कार्यालय आदेश / रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार